न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा० अपील 53/2016 ...... सुरेन्द्र कुमार ...... बनाम ...... शंकरलाल व अन्य

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.4.21	पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। वकील अपीलान्ट प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उप०। रेस्पोडेन्ट सं० 1 असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार को सुना गया। बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा दायर की गई एस०बी० सिविल रिट पिटीशन नम्बर 5232/2017 उनवानी सुरेन्द्रकुमार दायमा बनाम राजस्थान राज्य वगैराह में दिए गये निर्णय दिनांक 24-07-2020 तथा संशोधित निर्णय दिनांक 9-11-2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया गया है और रेस्पोडेन्ट्स को याचिकाकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25-07-2016 एवं 23-08-2016 द्वारा क्रय की गई आराजी का नामान्तरकरण निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के चार सप्ताह में खोलने के निर्देश दिये गये हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण खोलने के निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रभावहीन (Infructuous) हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2020 तथा संशोधित दिनांक 09-11-2020 अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	694 / 10-05-21 के निर्णय प्रति स्वसूल्कन रिकार्ड भिजवाया

अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

लगातार....